यान्त्रिक कृषि फार्म, रोजड़ी
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (राजस्थान)

संदर्भ :एफ MAF / ROJARI/2024 / **34** **दिनांकः 22.06.2024**

हिस्सा खेती खुली निविदा (01)

यान्त्रिक कृषि फार्म, रोजड़ी के फार्म पर 50 हैक्टैयर भूमी पर वर्ष 2024-25 के लिये खरीफ एवं रबी फसलो के बीज उत्पादन एवं फसलोत्पादन जैसे मूंग, मोठ, ग्वार, बाजरा, गेहूँ, जौ, सरसों, चने की हिस्सा खेती हेतु निविदा आमन्त्रिंत की जाती है । निविदा कार्यालय दिवस में प्रातः10.00 बजे से सांय 5.00 तक 500 रू0 नगद /डिमाण्ड ड्राफट जो कि **प्रभारी अधिकारी,यान्त्रिक कृषि फार्म, रोजड़ी** के पक्ष में देय हो के प्रस्तुत करनें पर निविदा फार्म प्राप्त किया जा सकता है। निविदा फार्म दिनांक 02.07.2024 को प्रातः 11.30 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है, भरे हुये निविदा फार्म दिनांक 02.07.2024 को दोपहर 12.00 बजे तक स्वीकार की जावेगी। निविदा दिनांक 02.07.2024 को दोपहर 2.00 बजे खोली जावेगी । निविदा से सम्बन्धित अन्य जानकारी एवं विवरण वेबसाइट http://sppp.rajasthan.gov.inएवं www.raubikaner.orgपर देखा जा सकता है।

निविदादाता की किसी भी प्रकार की शर्त मान्य नहीं होगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करनें का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

प्रभारी अधिकारी,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक अनुसंधान, स्वाकेराकृवि, बीकानेर
2. वित्तनियत्रंक, स्वाकेराकृवि, बीकानेर उक्त निविदा में अपना प्रतिनिधि भेजनें बाबत्।
3. अतिरिक्त निदेशक (बीज), स्वाकेराकृवि, बीकानेर उक्त निविदा में अपना प्रतिनिधि भेजनें बाबत्।
4. संवाद, राजस्थान पत्रिका श्री गंगानगर को भेजकर लेख है कि निविदा को न्यूनतम से न्यूनतम जगह में प्रकाशित कर बिल दों प्रतियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजे।
5. संवाद, सीमा संदेश श्री गंगानगर को भेजकर लेख है कि निविदा को न्यूनतम से न्यूनतम जगह में प्रकाशित कर बिल दों प्रतियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजे।
6. प्रभारी अधिकारी सिमका, स्वाकेराकृवि, बीकानेर बीकानेर को भेजकर लेख है कि इस निविदा को विश्वविद्यालय साईट पर लोड करनें की कृपा करे।
7. कार्यालय नोटिस बोर्ड/रोकड शाखा/स्थापना शाखा..

प्रभारी अधिकारी,

यान्त्रिक कृषि फार्म, रोजड़ी
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (राजस्थान)

दिनांक : 22.06.2024

वर्ष 2024–25 में हिस्सा खेती हेतु आमंत्रित की गई खुली निविदा की शर्ते :–

1.	ट्रैक्टर एवं ट्रैक्टर सम्बन्धी कार्य तथा डिस्क प्लाउ, हेरो, कल्टीवेटर द्वारा भूमि तैयारी कार्य, सीड ड्रील द्वारा व बुवाई फर्टिलाईजर ड्रिलिंग, थ्रेसर की व्यवस्था निविदादाता/ठेकेदार द्वारा ही की जावेगी अर्थात इनसे सम्बन्धी डीजल खर्च, वाहन चालक व्यवस्था में केन्द्र का कोई योगदान नहीं रहेगा। ट्रैक्टर सम्बन्धी कार्य जैसे बुवाई फर्टिलाईजर ड्रिलिंग, थ्रेसर इत्यादी कार्य केन्द्र के कार्यक्रम समन्वयक या प्रभारी अधिकारी या उनके प्रतिनिधि की देखरेख में किया जावेगा।
2.	**उपरोक्त कार्य हेतु जारी निविदा की राशि– 20,000/– रूपये सुरक्षित धनराशि धरोहर** के रूप में डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) जो **प्रभारी अधिकारी, यान्त्रिक कृषि फार्म, रोजड़ी** के पक्ष में देय हो जो निविदा फार्म के साथ जमा करानी होगी। बिना धरोहर राशि के अभाव में निविदा फार्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे। इसके साथ ही यदि निविदा दाता/ठेकेदार बीच में किसी कारण से ठेका छोड देता है तो उसकी जमा धरोहर राशि कार्यालय द्वारा जब्त कर ली जायेगी।
3.	बुवाई के लिये फसल का चयन केन्द्र द्वारा किया जायेगा। बुवाई के दौरान लगने वाले बीज, फंफूदनाशक, कीटनाशक, कल्चर की आपूर्ति केन्द्र द्वारा वैज्ञानिक अनुशंसा के अनुसार ही की जावेगी। निविदादाता की कोई शर्तें मान्य नहीं होगी।
4.	फसल वृद्धि के दौरान रोग व कीट प्रकोप की स्थिति में फंफूदनाशक, कीटनाशक व अन्य रसायन की आपूर्ति भी वैज्ञानिक अनुशंसा के अनुसार केन्द्र करेगा परन्तु श्रमिक अवयव व उपकरण निविदादाता/ठेकेदार के ही होगें ।
5.	बुवाई से लेकर फसल थ्रेसिंग करवाने संबंधी मजदूरी तथा उसके बाद **उत्पाद की साफ सफाई करके बोरियां भरकर, तोलकर गोदाम में रखने तक की प्रकिया** में लगने वाले श्रमिक अवयव निविदादाता/ठेकेदार को ही वहन करने होगें।
6.	स्वीकृत निविदादाता/ठेकेदार को केन्द्र द्वारा उपलब्ध सिंचाई सुविधा नहर द्वारा उपलब्ध पानी दिन/रात सप्लाई पर आधारित रहेगा। सिंचाई का समय व अवधि का निर्धारण विभाग द्वारा किया जायेगा। निविदादाता/ठेकेदार उस समय ही सिंचाई कर सकेगा। पम्प व ट्यूबवेल मोटर आदि चलाने का कार्य निविदादाता को ही करना होगा। विद्युत खर्च के अलावा डीजल आदि का खर्चा निविदादाता को ही वहन करना होगा।
7.	विभिन्न प्रकार की शस्य क्रियाऐं कार्यक्रम समन्वयक/ प्रभारी अधिकारी/ फार्म मैंनेजर/ फार्म इन्चार्ज/ के निर्देशानुसार करनी होगी तथा श्रमिक खर्चा ठेकेदार को वहन करना होगा । प्रभारी अधिकारी, फार्म ईंचार्ज, फार्म मैंनेजर द्वारा बताया गया कार्य निश्चित समय में करना होगा अन्यथा जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई निविदादाता/ठेकेदार से की जायेगी ।

8.	थ्रेसिंग के बाद प्राप्त होने वाले बीज उत्पाद के बंटवारे के बाद निविदादाता/ठेकेदार के हिस्से के विक्रय की स्थिति में प्रथम अधिकार केन्द्र का होगा, जिसके लिए निविदादाता/ठेकेदार को उसके हिस्से के बीज उत्पाद अथवा उत्पाद की एवज में भुगतान स्थानिय मण्डी में जिंस की प्रचलित दर से किया जायेगा।
9.	थ्रेसिंग के बाद प्राप्त होने वाले चारे के बंटवारे के बाद निविदादाता/ठेकेदार के हिस्से के विक्रय की स्थिति में प्रथम अधिकार केन्द्र का होगा, जिसके लिए निविदादाता/ठेकेदार को चारे की प्रचलित दर पर समिति के निर्णयानुसार भुगतान किया जायेगा।
10.	फसल कटाई के मामलों में कटी हुई फसलों को कहां ईक्ट्ठा करना हैं व कितने ढेर बनाने हैं इसके लिए फार्म मेनेजर, फार्म इन्चार्ज अथवा प्रभारी अधिकारी से सम्पर्क करना होगा।
11.	निराई, गुडाई, सिंचाई, कटाई, थ्रेसिंग तथा अन्य सम्बन्धित कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुए करने होगें। प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोके जाने का अधिकार फार्म मेनेजर, फार्म इन्चार्ज अथवा प्रभारी अधिकारी को होगा।
12.	बिना कोई कारण बताये निविदा को निरस्त करने का अधिकार प्रभारी अधिकारी होगा तथा किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रभारी अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा जो कि कॉन्टेक्ट्र को मानना बाध्य होगा।
13.	फसल में रोगिंग/अपवांछन कार्य फार्म मेनेजर, फार्म इन्चार्ज, प्रभारी अधिकारी या प्रभारी अधिकारी या उनके प्रतिनिधि की देखरेख में करना होगा।
14.	पम्प व ट्यूब वैल मोटर ऑपरेशन निविदादाता/ठेकेदार को ही करना होगा तथा निविदादाता को नहर से पानी की बारी आने से पहले खाले की साफ–सफाई करनी होगी एवं डिग्गि में पानी भरने की जिम्मेवारी निविदादाता की होगी। डिग्गी के पानी का समूचित उपयोग फववारे पद्वति से ही करना होगा ।
15.	फसलों की रखवाली करने की पूर्ण जिम्मेवारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी इसमें शिथिलता बरतने या नुकसान होने पर समिति द्वारा आकंलन करवाया जायेगा जिसे निविदादाता/ठेकेदार के भूगतान में से काटा जायेगा। फार्म पर स्थित पंप व पानी का प्रयोग फार्म की उद्यानिकी कार्यों के लिए व आवश्यकता होने पर अन्य कार्य में भी किया जा सकता है।
16.	फसल के दौरान स्वयं के पशु वगैरह फार्म पर नहीं लाये जायेगें तथा ना हीं यहां से हरा चारा वगैरह ले जाने दिया जायेगा।
17.	निविदादाता/ठेकेदार को केन्द्र के मुख्य द्वार से ही आना–जाना करना होगा। किसी भी अवांछित आदमी को फार्म में आने की ईजाजत नहीं होगी।
18.	अनुबंद खत्म होने पर **प्रभारी अधिकारी, यान्त्रिक कृषि फार्म, रोजड़ी** से **"नो डयूज"** लेना होगा।
19.	सभी प्रकार के टैक्स वहन की जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी।
20.	विभिन्न कार्यों के दौरान किसी भी प्रकार की जन–धन हानि एवं दुर्घटना की वैद्यानिक व सम्पूर्ण जिम्मेवारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी। संस्था का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा ।
21.	सिंचाई खालों व पाटले की साफ–सफाई का कार्य निविदादाता/ठेकेदार को करना होगा तथा माह में कम से कम एक बार सफाई करनी होगी, जिसका खर्च निविदादाता/ठेकेदार को वहन करना होगा।

22.	फार्म पर आयोजित बीजोत्पादन कार्यक्रम की सम्पूर्ण देखभाल कार्यक्रम समन्वयक/फार्म मैनेजर की देखरेख में करना होगा तथा कार्य रिपोर्ट का प्रत्येक माह प्रमाण पत्र लेना होगा जिसकी एक प्रति **प्रभारी अधिकारी** को देनी होगी।
23.	रोपित बीजोत्पादन कार्यक्रम को समय पर न करने व पशुओं द्वारा फसल को सम्पूर्ण व आंक्षिक क्षति पहुचाने की स्थिति में व चोरी आदि की वारदात की परिस्थितियों में काश्त में व्यय राशि जुताई, बीजाई, रासायन, दवाओं, बीज व संस्था द्वारा अन्य निर्धारित खर्चे आदि खर्चो को ठेकेदार के अंतिम भुगतान व धरोहर राशि से संस्था हित में भरपाई की जायेगी ।
24.	केन्द्र के फार्म पर सभी कृषि कार्य संबंधित निविदादाता को स्वंय द्वारा ही किया जाना आवश्यक हैं। निविदादाता उक्त फार्म को अन्य किसी भी व्यक्ति/फर्म को सबलैट नहीं कर सकेगा, ऐसा कुछ करने पर उक्त निविदा को तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी।
25.	यदि संबंधित निविदादाता/ठेकेदार द्वारा फार्म पर मजदूरों द्वारा कृषि कार्य करवाता है तो भी निविदादाता/ठेकेदार का फार्म पर उपस्थित होना अतिआवश्यक होगा तथा साथ ही मजदूरों से कार्य शुरू करवाने से पूर्व उनके द्वारा करवाये जाने वाले कार्य के बारे में फार्म इचार्ज/प्रभारी अधिकारी को सुचित करना होगा। फार्म पर निविदादाता/ठेकेदार के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति का फार्म में रहेना/प्रवेश वर्जित रहेगा। अतिआवश्यक कार्य होने पर यदि किसी व्यक्ति को केन्द्र के फार्म पर रोकने से पूर्व फार्म इचार्ज या अधोहस्ताक्षरकर्ता से स्वीकृति लेना अतिआवश्यक होगा।
26.	फार्म पर प्रतिमाह विद्युत खर्च के कुल बिल की राशि का 10 प्रतिशत भुगतान निविदादाता/ठैकेदार द्वारा वहन किया जायेगा, जो कि बिल जमा कराते समय निविदादाता/ठेकेदार को फार्म कार्यालय में जमा करवाना होगा
27.	फार्म पर स्थित पेड़ तथा तारबन्दी, मोटर, तार, पाइप, तार व खम्भे एवं अन्य सामान की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। खोने अथवा चोरी हो जाने पर ठेकेदार को उसकी पूर्ति करनी होगी।
28.	सफल निविदादाता को सभी फसलों की कटाई होने तक पूर्ण रूप से खरपतवार रहित रखना होगा चाहे इस हेतु बार–बार निराई गुड़ाई करनी पड़े, अन्यथा फसल नुकसान, औसत उत्पादन में 10 प्रतिशत की कमी मानकर उत्पादन में कमी की भरपाई ठेकेदार को दिये जाने वाले भुगतान की राशि में से (प्रत्येक फसलों अनुसार) काट लिया जायेगा या धरोहर राशि से भरपाई की जायेगी।
29.	खरीफ की फसल का उत्पादन 30 नवम्बर से पहले तथा रबी की फसल का उत्पादन 15 मई से पहले केन्द्र के गोदामों में जमा करना होगा अन्यथाः प्रतिदिन एक प्रतिशत के हिसाब से निविदादाता के हिस्से से कटौती की जावेगी।
30.	फसल को जंगली जानवर व अन्य किसी हानि से बचाने व रखवाली (दिन रात्री) हेतु सुरक्षा का कार्य निविदादाता को करना होगा।
31.	फसलोत्पादन के दौरान किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा (शीतलहर, ओलावृष्टी)/आगजनी आदि की स्थिति में हुई क्षति होने पर उक्त केन्द्र द्वारा ठेकेदार को किसी भी प्रकार का मुआवजा या क्षतिपूर्ति या फसल बिमा योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा और न ही ठेकेदार किसी भी प्रकार के मुआवजा या क्षतिपूर्ति की मांग करेगा।

32.	सभी कार्य कार्यालय समय के अनुसार करने होगें। फार्म पर लगे पेड व झाड़ियों की कटाई–छंगाई पर पूर्ण अधिकार फार्म का होगा। निविदादाता/ठेकेदार या उसके श्रमिक द्वारा अपनें स्तर पर फार्म पर कोई गैर कानूनी गतिविधि संचालित करता है तो समस्त जिम्मेवारी निविदादाता की होगी।
33.	निविदादाता द्वारा हिस्सा खेती की भरी गई दर न्यूनतम/उच्चतम को मानने के लिए कमेटी बाध्य नहीं होगी, कमेटी का निर्णय ही सर्वमान्य होगा।
34.	सफल निविदा दाता को सभी फसलों की कटाई होने तक पूर्ण रूप से खरपतवार रहित रखना होगा चाहे इस हेतु बार–बार निराई गुड़ाई करनी पड़े, अन्यथाः फसल नुकसान, औसत उत्पादन में 10 प्रतिशत की कमी मानकर उत्पादन में कमी की भरपाई ठेकेदार को दिये जाने वाले भुगतान की राशि में से (प्रत्येक फसलों अनुसार) काट लिया जायेगा या धरोहर राशि से भरपायी की जायेगी।
35.	निविदा दाता/ठेकेदार को निविदा फॉर्म के साथ पेन कार्ड व आधार कार्ड की फोटो प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
36.	किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/स्थगित/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार बिना कारण बताये **प्रभारी अधिकारी,, यान्त्रिक कृषि फार्म, रोजड़ी** के पास सुरक्षित रहेगा।
37.	निदिदादाता को नॉनज्यूडिसियल स्टाम्प रू. 500/– पर शपथ पत्र टाइप करवाकर तथा नोटेरी से प्रमाणित करवाकर कार्यालय मे निविदा स्वीकृत होने के दो दिनो के अन्दर कार्यालय समय में जमा करवाना होगा जिसमें उपरोक्त शर्तें स्वीकार करते हुये कार्य करने की सहमति प्रदान की जाए एवं इसके अभाव में जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी तथा सफल निविदादाता को कार्य करने के आदेश नहीं दिया जाएगा जिसकी पूर्ण जवाबदारी निविदादाता की होगी।

प्रभारी अधिकारी,
यान्त्रिक कृषि फार्म, रोजड़ी

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैनें/हमनें पूर्ण सावधानी पूर्वक उपरोक्त सभी शर्ते अच्छी तरह से पढ ली है स्वीकार्य है एवं मै उपरोक्त शर्तों पर हिस्सेदारी कर कार्य करने के लिए सहमत हूँ। मेरा कार्य किसी भी स्तर पर संतोष जनक नहीं पाये जाने पर निविदा निरस्त कर मेरी धरोहर राशि केन्द्र जब्त कर सकता है।

निविदादाता/ठेकेदार के हस्ताक्षर, पता व दिनांक